न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 33/2023

उनवान

1. यश गोयल पुत्र दिनेश कुमार गोयल जाति महाजन निवासी अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर हाल निवासी ए 105 प्रफूल्ल कानन रोड वेस्ट केष्टोपुर राजेरहाट गोपालपुर (एम) नार्थ 24 परगना 700101

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।
2. मु0 बतुल पत्नि ईसीख
3. मो0 मुस्ताक पुत्र ईसाख
4. मो0 सदीक पुत्र ईसाख
   समस्त वयस्क, समस्त जाति–मनिहार
5. कबीर पुत्र गोरा
6. खेरून पुत्री गोरा
7. छोटी पुत्री गोरा
8. फरीदा पुत्री गोरा
9. महरून पुत्री गोरा
10. मोहम्मदीन पुत्र गोरा
11. मुन्ना पुत्र हुसैन खां
12. रहीस पुत्र हुसैन खां
    समस्त वयस्क, समस्त जाति–मुसलमान
13. गीता देवी पत्नी हेमन्त कुमार
14. बिसनलाल पुत्र देवीसहाय
15. मन्जू देवी पत्नी कानाराम
16. रविशंकर पुत्र कानाराम
17. ललिता देवी पत्नी महेश कुमार
18. विनोद कुमार पुत्र देवीसहाय
19. सुनिल कुमार पुत्र कानाराम
20. सुल्तान पुत्र देवीसहाय
    समस्त वयस्क, समस्त जाति–माली
    समस्त निवासीयान अमरसर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 6/7/23

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 698/1 रकबा 0.48 है0, 699/1 रकबा 0.81 है0 कुल किता 2 रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है जिसका उप तहसीलदार अमरसर के आदेश कमांक/ /सीमा/ कैम्प/ 2023/ 4546 दिनांक 1.5.2023 की पालना में दिनांक 29.5.2023 को मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 295.2023 के बाद से पडौसी खातेदारान ने धीरे धीरे पुनः प्रार्थीगण की भूमि दबाना व अपनी भमि में मिलाना प्रारम्भ कर दिया है जिससे

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

आपस में विवाद होने की पूर्ण संभावना बन चुकी है जिस कारण प्रार्थीगण को स्थाई सीमाकंन हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । जिनके विरूद्व नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर वकील प्रार्थी की बहस सुनी । विद्वान प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को जाहिर करते हुए अवगत कराया कि प्रश्नागत आराजी का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 29.5.2023 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है पडौसी काश्तकार द्वारा स्थायी चिन्ह के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि को दबाना प्रारम्भ कर दिया है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किय जावे।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 29.5.2023 को पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है ,प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथीगण की प्रश्नागत कि ख.नं. 698/1 रकबा 0.48 है0, 699/1 रकबा 0.81 है0 कुल किता 2 रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 29.5.2023 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 6/7/23 को सरै इजलास सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
(मनमोहन मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान